न्यायालय: अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, फलोदी

पीठासीन अधिकारी : जयपाल जाणी (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील संख्या 41/2025

CIS No. 41/2025 CNR No. RJPH01-000460 -2025

अपीलार्थी :–

हरचंदराम पुत्र बादराराम, उम्र 62 वर्ष, निवासी उदाणियों की ढाणी, सांवरीज, पुलिस थाना फलोदी, जिला फलोदी (राज.)

बनाम

रेस्पोंडेण्ट :– राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, फलोदी

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.05.2025 द्वारा श्रीमती सुप्रभा देवल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी नंबरी फौजदारी प्रकरण संख्या 1087/2014 राजस्थान राज्य बनाम हरचंदराम, अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–

1. श्री प्रेमप्रकाश विश्नोई, श्री राजेन्द्र विश्नोई अधिवक्तागण वास्ते अपीलार्थी।
2. श्री कैलाश कड़वासरा, अपर लोक अभियोजक वास्ते रेस्पोंडेंट।

–: निर्णय :– दिनांक: 11.06.2026

1. यह अपील श्रीमती सुप्रभा देवल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 1087/2014 राजस्थान राज्य बनाम हरचंदराम में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। इस निर्णय से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर एक वर्ष के साधारण कारावास, 1000/– रूपये जुर्माने व अदम अदायगी जुर्माना एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपील प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी जवाहरलाल उर्फ फिना पुत्र रावतमल, निवासी नदीपार, फलोदी ने दिनांक 23.09.2013 को पुलिस थाना फलोदी के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि

वह बजाज पल्सर मोटरसाईकिल नंबर आरजे 19 एसके 6640 का पंजीकृत स्वामी है। आज शाम को 08:30 से 08:49 बजे के करीब वह घाटी हनुमानजी के मंदिर, शिवसर नदीपार फलोदी में था, उसकी मोटरसाईकिल मंदिर के गेट पर खड़ी थी। उसने करीब 09:15 से 09:30 बजे के मध्य अपनी मोटरसाईकिल संभाली तो वह गेट से गायब थी। उसने आसपास ढूंढा, लेकिन मोटरसाईकिल नहीं मिली। मोटरसाईकिल काले कलर की थी, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया.... आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 376/2013 दर्ज कर बाद अनुसंधान अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 379 भा.दं.सं. में आरोप पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 379 भा.दं.सं. के आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया गया तो उसने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. रेस्पोंडेंट/अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू–1 जवाहरलाल उर्फ फिना, पी.डब्ल्यू–2 श्यामसुंदर, पी.डब्ल्यू–3 अन्नराजसिंह, पी.डब्ल्यू– 4 कंवरलाल, पी.डब्ल्यू–5 शिवराम, पी.डब्ल्यू–6 घमुराम, पी.डब्ल्यू– 7 लक्ष्मणराम एवं पी.डब्ल्यू–8 देवीलाल के कथन लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–1 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी–2 नक्शा मौका, प्रदर्श पी–3 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त हरचंदराम, प्रदर्श पी–4 फर्द बरामदगी मोटरसाईकिल, प्रदर्श पी–5 फर्द नक्शा बरामदगी, प्रदर्श पी–6 फर्द इत्तला अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त हरचंदराम, प्रदर्श पी–7 फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल व प्रदर्श पी–8 व 8ए वाहन की मूल आर.सी. व उसकी प्रतिलिपि को प्रदर्शित करवाया गया ।

5. विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया, जिस पर अपीलार्थी/अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया व साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

6. तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की बहस सुनकर दिनांक 09.05.2025 को आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी।

7. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य का सही प्रकार से विश्लेषण नहीं कर आलोच्य निर्णय व दण्डादेश पारित किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहान के कथनों में भारी विरोधाभास है। चोरी की घटना दिनांक 16.09.2013 को बताई गई है जबकि उसकी रिपोर्ट थाना में दिनांक 23.09.2013 को दर्ज करवाई गई है एवं देरीना रिपोर्ट का कोई कारण पत्रावली पर नहीं आया है। अन्त में विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2025 को अपास्त कर अपील स्वीकार किए जाने व अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गयी।

8. इसके विरोध में रेस्पोंडेंट/अपर लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्रता से विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अन्त में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गयी उक्त अपील को खारिज किए जाने की प्रार्थना की गयी।

9. उभय पक्षों की बहस सुनी गई। यह विचारणीय प्रश्न है कि, **"क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट फलोदी के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2025 में कोई विधिक त्रुटि है या नहीं ?**

10. इस प्रकरण में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी –1 जवाहरलाल द्वारा दर्ज करवायी गयी, जिसमें उसने अंकित किया है कि शाम को 08:30 से 08:49 बजे के करीब वह घाटी हनुमानजी के मंदिर शिवसर घाटी फलोदी में था, उसकी मोटरसाईकिल मंदिर के गेट पर खड़ी थी। उसने करीब 09:15 से 09:30 बजे के मध्य अपनी मोटरसाईकिल संभाली तो वह गेट से गायब थी। उसने आस–पास ढूंढा लेकिन मोटरसाईकिल मिली नहीं। मोटरसाईकिल काले कलर की थी, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। प्रार्थी जवाहरलाल विचारण न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू.1 के रूप में में परीक्षित हुआ, जिसने सशपथ बयानों में कथन किया है कि करीब छः –साढ़े छः साल पहले घाटी हनुमान मंदिर में वह दर्शन करने के लिए गया था। वह अपनी मोटरसाईकिल

पल्सर आर. जे 19 6640 का हेण्डल लॉक करके अंदर चला गया था, बाहर आया तो गाड़ी नहीं मिली। इधर–उधर ढूंढा तो नहीं मिली। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा किये गये कथनों से प्रार्थी की मोटरसाईकिल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किये जाने की पुष्टि होती है। गवाह पी.डब्ल्यू–5 शिवराम तत्कालीन हैड कानि. फलोदी प्रकरण का अनुसंधानकर्ता है, जिसने कथन किया है कि दिनांक 23.09.2013 को जवाहरलाल की रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 376/2013 दर्ज किया गया एवं उसके द्वारा मुस्तगिस जवाहरलाल व मौतबिरान के समक्ष शिवसर घाटी हनुमान जी मंदिर के पास मोटरसाईकिल चोरी का मौका प्रदर्श पी–2 देखा। दिनांक 06.07.2014 को शाम 05:00 बजे हरचंदराम के घर के पास से मोटरसाईकिल बजाज पल्सर आर.जे. 19 एस.एफ. 6834 जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–4 मौतबिरान लक्ष्मणराम व हीराराम के समक्ष बरामद की व हरचंदराम को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी –3 गिरफ्तार किया। उन्हें हरचंदराम के घर के कमरे में मोटरसाईकिल मिली थी। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त हरचंदराम द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी–6 के अनुसरण में हरचंदराम द्वारा मौतबिरान देवीलाल व घमुराम के समक्ष चोरी करने के स्थान का मौका जरिये फर्द प्रदर्श पी –7 तस्दीक करवाया गया है एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी–4 मोटरसाईकिल जब्त की गई है एवं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–5 शिवराम का यह भी कथन रहा है कि सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त हरचंदराम के विरूद्ध धारा 379 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाया गया एवं चार्जशीट अन्नराजसिंह ने पेश की। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–5 शिवराम द्वारा किये गये कथनों एवं कार्यवाही की पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू–3 अन्नराजसिंह, थानाधिकारी पुलिस थाना फलोदी के बयानों से होती है, जिसने प्रकरण का अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी शिवराम द्वारा पूर्ण कर पत्रावली उसके समक्ष पेश करने पर उसके द्वारा अभियुक्त हरचंदराम के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करना कथन किया है। गवाह पी.डब्ल्यू–2 श्यामसुन्दर व पी.डब्ल्यू–4 ने उनके समक्ष पुलिस द्वारा जवाहर की मोटरसाईकिल चोरी का मौका देखना व फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 पर हस्ताक्षर होना कथन किया है। गवाह पी.डब्ल्यू–6

घमुराम व पी.डब्ल्यू–8 देवीलाल द्वारा उनके समक्ष अभियुक्त हरचंदराम की इत्तलानुसार उसकी निशादेही से हैड कानि. शिवराम द्वारा घटनास्थल हनुमान मंदिर के पास का मौका तस्दीक जरिये फर्द प्रदर्श पी–7 किये जाने की साक्ष्य दी है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–7 लक्ष्मणराम ने भी दिनांक 06.07.2014 को उसके तथा हीराराम के रूबरू हैड कानि. द्वारा अभियुक्त हरचंदराम से उसके घर पर बने कमरे से मोटरसाईकिल जरिये फर्द प्रदर्श पी–4 जब्त करना तथा नक्शा प्रदर्श पी–5 व हरचंदराम की गिरफ्तारी की फर्द प्रदर्श पी–3 पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य दी है।

11. उपरोक्त समस्त विवेचन से अभियुक्त हरचंदराम द्वारा परिवादी जवाहर की मोटरसाईकिल को बेईमानीपूर्वक आशय से चोरी किये जाने की पुष्टि होती है। अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान जो आधार लिए गए हैं, उनसे उपरोक्त विवेचनानुसार यह न्यायालय सहमत नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के आरोप संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन कर अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया गया है एवं विचारण न्यायालय द्वारा जो निर्णय व दण्डादेश दिनांक 09.05.2025 को पारित किया गया है, वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से परे नहीं माना जा सकता और न ही इसमें विधिक त्रुटि है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2025 की दोषसिद्धि की सीमा तक पुष्टि की जाती है।

12. परन्तु जहां तक दण्डादेश के संबंध में विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांकित 09.05.2025 को देखा जाए तो अपीलार्थी/अभियुक्त हरचंदराम को विचारण न्यायालय द्वारा एक वर्ष के साधारण कारावास व 1000/– रूपये जुर्माने एवं अदम अदायगी जुर्माना एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

13. अपीलार्थी/अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का होकर वृद्ध व्यक्ति है, जो सन् 2013 से अन्वीक्षा भुगत रहा है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर नहीं है। इसलिए अपीलार्थी /अभियुक्त को

परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.05.2025 दण्डादेश की सीमा तक अपास्त किए जाने योग्य है।

–» <u>आदेश</u> «–

14. अतः अपीलार्थी/अभियुक्त हरचंदराम पुत्र बादराराम, उम्र 62 वर्ष, निवासी उदाणियों की ढाणी, सांवरीज, पुलिस थाना फलोदी, जिला फलोदी की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील अन्तर्गत धारा 415 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्ध राजस्थान राज्य आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2025 की अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 379 भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध किए जाने की सीमा तक पुष्टि की जाती है तथा विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.05.2025 दण्डादेश की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

15. अपीलार्थी/अभियुक्त हरचंदराम को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत दस–दस हजार रूपये के जमानत मुचलके विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फलोदी के समक्ष एक माह के भीतर पेश कर तस्दीक करवाने पर निम्न लिखित शर्तो पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर उसे रिहा किया जाएः–

(1.) अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी तथा वह सदाचार बनाये रखेगा।

(2.) अपीलार्थी/अभियुक्त को जब भी विचारण न्यायालय द्वारा सजा भुगतने के लिए तलब किया जावेगा, वह स्वयं को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगा।

(3.) अपीलार्थीध्अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय की अनुमति के बिना अपने स्थायी पते में परिवर्तन नहीं किया जावेंगा।

(4.) परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अपीलार्थी/अभियुक्त पर कुल 2000/–रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाता है जो वह विचारण न्यायालय के समक्ष एक माह के भीतर जमा करवायेगा।

16. अपीलार्थी/अभियुक्त हरचंदराम द्वारा परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत उपरोक्तानुसार बंधपत्र व प्रतिभूपत्र विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फलोदी के समक्ष एक माह के भीतर पेश कर तस्दीक नहीं करवाने पर विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फलोदी के द्वारा पारित दण्डादेश आदेश दिनांक 09.05.2025 प्रभावी रहेगा।

17. विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फलोदी को लौटाई जाए।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
फलोदी, जिला फलोदी

18. निर्णय व आदेश आज दिनांक 11.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
फलोदी, जिला फलोदी